

नगर आयुक्त महोदय,

कृपया अवगत होना चाहें कि नगर निगम आगरा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राजकीय पेंशनरों की भांति सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने हेतु 30 मार्च 1996 के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित गजट में निम्न व्यवस्था की गयी है। (संलग्नक-1)

“राज्य सरकार द्वारा जब-जब सरकारी सेवकों की पेन्शन/पारिवारिक पेंशन, उपादान के न्यूनतम/अधिकतम निर्धारण, मूल वेतन, मंहगाई वेतन, अन्तरिम राहत मंहगाई राहत के सम्बन्ध में जो भी आदेश पारित किये जायेंगे वे प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से उसी तिथि से प्रभावी होंगे और प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के ऐसे आदेश आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवा निवृत्त सुविधा (रिटायरमेंट बेनिफिट) विनियम 1962 का भाग समझे जायेंगे। जिन मामलों में उक्त अधिनियम मौन होंगे उन मामलों में राज्य सरकार के पेंशनरों के लिये जारी आदेश प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रभावी हो सकेंगे। उपर्युक्त संशोधनों की दिनांक 12 अक्टूबर 1995 को पुष्टि की जा चुकी है।”

उपरोक्त गजटीय व्यवस्था के उपरान्त भी पेंशन सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन नगर निगम आगरा में नहीं हो पा रहा है। इस कारण एक ओर सेवा निवृत्त निगम के कर्मचारियों को पेंशनरी लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं साथ ही बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशनरी लाभों के लिए माननीय उच्च न्यायालय जाकर वाद दायर करने को विवश हैं। इन वादों की पैरवी हेतु नगर निगम आगरा को अनावश्यक व्यय भार वहन करना पड़ रहा है। अतः इस प्रकार की अप्रिय एवं अहितकर स्थितियां उत्पन्न न हो तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके समस्त पेंशनरी लाभ समय से प्राप्त हो सकें इस हेतु निम्न वर्णित शासनादेशों का लाभ नगर निगम के पेंशनरों को दिये जाने के लिये महोदय की स्वीकृति अपेक्षित है।

1- सेवायोजित पारिवारिक पेंशन भोगियों को मंहगाई राहत शासनादेश संख्या-7/2016-सा-3-180/दस-2016-308 (06)/2000 दिनांक 17 मार्च 2016 (संलग्नक-2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/सहकारी संस्थाओं आदि में सेवायोजित हैं तथा इस कारण उनकी पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान नहीं किया जा रहा है, को तात्कालिक प्रभाव से वेतन पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के साथ-साथ पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई राहत का भी भुगतान अनुमन्य होगा किन्तु इसके अधीन किसी प्रकार के एरियर का भुगतान देय नहीं होगा, के आदेश दिये गये हैं। किन्तु नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों को इसका लाभ नहीं दिया गया है। उक्त शासनादेश का लाभ आगरा नगर निगम में लागू किया जाना नियम संगत है

146/D/2024/25

07-1-2025

संख्या- 4196 /9-1-2024-1847562

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगर निकाय निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 11 दिसम्बर, 2024

विषय: दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उ०प्र० राज्य के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात् 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी०सी०-4767/4324पें०/24-3339, दिनांक 01.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024, दिनांक 12 जून 2024 द्वारा मा०उच्चतम न्यायालय एवं मा०उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोंपरात यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय। दिनांक 01 जुलाई को वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गयी है। अतः इन-आदेशों से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो दिनांक 01.01.2006 के उपरांत परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व सम्बंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 के उपरांत परन्तु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिकों पर भी लागू होगी जो सम्बंधित वर्ष 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी, से संबंधित राज्य सरकार के कार्मिकों पर लागू की गयी है। अतः मा० उच्च न्यायालय एवं

cfso

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगस
20/12/24

श्रीमती लपना

सुटमित करे; (12.6.24 से आगे उपलब्ध है)

उच्चतम न्यायालय में योजित वादों के दृष्टिगत रखते हुए वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश-संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024, दिनांक 12.06.2024 को अंगीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासनादेश संख्या-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024, दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा अनुमन्य व्यवस्था नगर स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के कार्मिकों को प्रदान किये जाने हेतु उक्त शासनादेश को इस शर्त के साथ अंगीकृत किये जाने जी श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं कि उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही कराने पर इसके संबंध में आने वाले व्ययभार का वहन निकायों द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-9-320-X-2024-25 दिनांक: 05/12/2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

(अमृत अम्बिजात)

प्रमुख सचिव 2024 14:29:36

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा(प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक जलकल विभाग/जल निगम(नगरीय), जल संस्थान उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश(द्वारा निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश)।
6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3,
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9,
8. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(पारस नाथ)
अनु सचिव

संख्या-²⁴⁸¹9-1-2023-281 सा/2018/1480805

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ० प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 11 दिसम्बर, 2023

विषय: वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-पी० सी०/4122/5/मिस.ले./2020, दिनांक 14.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से संशोधित किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या-63/2016-वे० अ०-2-2644/दस-04(एम)/2016 दिनांक 16.12.2016 एवं शासनादेश संख्या-67/2016/वे० अ०-02-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2016 के क्रम में स्थानीय निकाय तथा जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के संबंध में वित्त विभाग की सहमति के आलोक में सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त उक्त व्यवस्था को अंगीकृत करते हुए शासनादेश संख्या-3409/9-1-17-194 सा/2016, दिनांक 04.01.2017 निर्गत किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि वेतन समिति 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन के भाग-1 में नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में की गयी संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड/ग्रेड वेतन की स्वीकृति के संबंध में संकल्प दिनांक 07.02.2009 के प्रस्तर-5 के नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के विभिन्न श्रेणी के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को राजकीय कार्मिकों/पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सादृश्य पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्धारित व्यवस्था के क्रम में नगर विकास अनुभाग-6 से निर्गत शासनादेश संख्या-1615/9-6-2009-4(15)/2009, दिनांक 15.06.2009 द्वारा यह व्यवस्था अनुमन्य की गयी

AAO

13/12

Renu X

कि समस्त नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर/कार्मिक जिन्हें पेंशन की सुविधा राजकीय विभाग के सादृश्य अनुमन्य है, की पेंशन के पुनरीक्षण हेतु वही प्रक्रिया अपनायी जाये, जो राजकीय पेंशनरों/कार्मिकों के संबंध में अपनायी गयी है।

4. उपर्युक्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016, दिनांक 18.07.2017 द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2017-पी०एण्ड पी डब्लू०(डी), दिनांक 12 मई, 2017 में की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार प्रदेश सरकार के वर्ष 01.01.2016 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन को संशोधन शासनादेश से साथ संलग्न तालिका में दिये गये उदाहरण के अनुसार निर्धारित किये जाने का आदेश निर्गत किये गये हैं।

5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017/308(8)/2016, दिनांक 04.09.2017 द्वारा केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2017-पी०एण्ड पी डब्लू०(ए), दिनांक 06 जुलाई, 2016 के साथ संलग्न तालिका के आधार पर शासनादेश दिनांक 04.9.2017 तथा शासनादेश दिनांक 18.7.2017 के अनुसार प्रकल्पित रूप से वेतन निर्धारण करते हुए दिनांक 1 जनवरी 2016 से पेंशन का पुनरीक्षित किये जाने, जिसमें दिनांक 1 जनवरी 2016 के पूर्व की अवधि का कोई एरियर देय नहीं होगा तथा शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 एवं इस शासनादेश की व्यवस्थाओं के अधीन पेंशन पुनरीक्षण पर देय एरियर का भुगतान शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-10 एवं शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-11 के अनुसार किया जायेगा।

6. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016, दिनांक 18.07.2017 तथा शासनादेश संख्या-31/2017/सा-3-524/दस-2017/308(8)/2016, दिनांक 04.09.2017 द्वारा वर्ष 2016 के पूर्व समस्त स्थानीय निकायों/जल संस्थाओं के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन संशोधन की व्यवस्था का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2017 एवं दिनांक 04.09.2017 को एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है। उक्तानुसार संबंधित कार्मिकों की पेंशन निर्धारण के बारे में आवश्यक निर्देश कृपया अपने स्तर से भी निर्गत करने का कष्ट करें।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-9-359-X-2023-24, दिनांक-06 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally Signed by अमृत
भवदीय, अभिज्ञान

Date: 08-12-2023 18:42:58

(अमृत अभिज्ञान) Reason: Approved

प्रमुख सचिव

599/141
13/8

554/R/ANNA
14/9/2021

282/R/10/21
15/09/21

संख्या 548/9.1.2021-260सा/2018

प्रेषक,

डा रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

A.M.A-I

269

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

14/9/21

लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2021

विषय: नगरीय स्थानीय निकायों के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपादान/मृत्यु उपादान तथा सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)/2003, दिनांक 28. मार्च 2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिसमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशनयोजना की भांति पेंशन योजना लागू थी, में दिनांक 1, अप्रैल, 2005 से समस्त नई भर्तियों पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गयी है। राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय नगरीय निकायों के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त/विनियमित नये प्रवेशकों, जिसका वित्त पोषण नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के संसाधनों द्वारा किया जाता है, पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के संबंध में नगर विकास अनुभाग-1 द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-1-19-260सा/2018 दिनांक 17.07.2019 निर्गत किया गया है।

2. दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्त उपादान और मृत्यु उपादान की अनुमन्यता के संबंध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17/दस -2016-309(9)/2011 दिनांक 06.10.2016 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में यह उल्लेख है कि यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होगा, जिसमें दिनांक 01.04.2005 के पूर्व राज्य सरकार की पेंशन योजना की भांति पेंशन लागू थी, और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य थे। यह आदेश दिनांक 01.04.2005 से लागू माना जायेगा।

3. राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-23/2016-सा-3-474/दस-309(09)/एस0ए0बी0/2011 दिनांक 05.07.2016 निर्गत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे किसी कार्मिक की मृत्यु यदि उसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने, पंजीकरण हो जाने, अथवा

24/08/21

PRAN आवंटित हो जाने के पूर्व अथवा उपरान्त बिना कोई अभिदान किये हो जाती है, तो भी ऐसे कार्मिक के आश्रित को उपर्युक्त शासनादेशों का लाभ अनुमन्य होगा।

4. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उपादान और मृत्यु उपादान अनुमन्यता के संबंध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17/दस-2016-301(9)/2011 दिनांक 06.10.2016 तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्त की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभ के संबंध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-23/2016/सा-3-474/दस-2016-301(9)/एस0ए0बी0/2011 दिनांक 05.07.2016 की व्यवस्था का लाभ दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित नगरीय स्थानीय निकायों के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त/मृतक तथा सेवाकाल के दौरान मृतक/विकलांग तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्त को अनुमन्य कराये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 06.10.2016 तथा 05.07.2016 अंगीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1548(1)/9-1-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से।
6. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र मणि त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या-23/2016-सा-3-474/दस-2016-301(09)/एस0ए0बी0/2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक : 05 जुलाई, 2016

विषय:- राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशाली संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु/विकलांगता तथा बीमारी अथवा चोट के कारण सेवानिवृत्ति की दशा में देय सेवानिवृत्तिक लाभ।

महोदय,

शासन से यह जिज्ञासा की जा रही है कि उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सा-3-1613/दस-2011-301(09)/2011, दिनांक 05-12-2011, संख्या-13/सा-3-393/दस-2014-301(23)/2014, दिनांक 31-10-2014, अधिसूचना संख्या-21/2015/सा-3-1038/दस-2015-301(09)/2011, दिनांक 06-11-2015 तथा शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(09)/2011, दिनांक 19-05-2016 राज्य सरकार से अनुदानित शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशाली संस्थाओं के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में लागू होंगे अथवा नहीं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली प्रदेश में लागू किये जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28-03-2005 राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित ऐसी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशाली संस्थाओं जिन में दिनांक 01-04-2005 के पूर्व राज्य सरकार की भाँति पेंशन योजना लागू थी, की सेवा में दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त नवनि्युक्त कार्मिकों पर समान रूप से लागू है। अतः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित उपर्युक्त समस्त शासनादेश जो सरकारी कर्मचारियों के संबंध में निर्गत किये गये हैं, उपरि संदर्भित संस्थाओं के कार्मिकों पर समान रूप से लागू होंगे।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे किसी कार्मिक की मृत्यु यदि उसके द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण हेतु आवेदन

--2--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

किये जाने/पंजीकरण हो जाने अथवा PRAN आवंटित हो जाने के पूर्व अथवा उपरान्त बिना कोई अभिदान किये हो जाती है तो भी ऐसे कार्मिकों के आश्रितों को उपर्युक्त शासनादेशों का लाभ अनुमन्य होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-23/2016-सा-3-474/दस-2016-301(09)/एस0ए0बी0/2011. तद्विनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
 - 2- अपर निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 3- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
 - 4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8 वॉ तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
 - 5- चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर, एन0पी0एस0 ट्रस्ट, नई दिल्ली।
 - 6- एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसीडेंट, एन0एस0डी0एल0, मुम्बई।
 - 7- चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।
 - 8- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
 - 9- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, लखनऊ।
 - 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17/दस-2016-301(9)2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 06 अक्टूबर, 2016 ✓

विषय:- दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अनुमन्यता।

महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट/विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/आसाधारण पेंशन एवं उपदान की सुविधा अन्तरिम रूप से शासनादेश संख्या- सा-3-1613/दस-2011-301(9)/2011, दिनांक 05.12.2011 द्वारा अनुमन्य की गयी थी। इसके उपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी हेतु शासनादेश संख्या-13/सा-3-393/दस-2014-301(23)/2014, दिनांक 31.10.2014, अधिसूचना संख्या-21/2015/सा-3-1038/दस-2016-301(9)/2011, दिनांक 06.11.2015 एवं शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(9)/2011, दिनांक 19.05.2016 निर्गत किये गये।

2- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी. डब्लू(एफ)/बी, दिनांक 26.08.2016 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिये लागू नियम और शर्तों पर "सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान" का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

--2--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी.डब्लू(एफ)/बी, दिनांक 26.08.2016 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ उत्तर प्रदेश रिटायर्मेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (यथासंशोधित) से आच्छादित कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य होगा। यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनमें दिनांक 01.04.2005 के पूर्व राज्य सरकार की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य थे।
- 4- यह आदेश दिनांक 01.04.2005 से प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17(1)/दस-2016.तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- सी0ई0ओ0, पेंशन फण्ड रेग्युलेटरी एण्ड डेवलपमेण्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली।
- 3- श्री चन्द्रशेखर तिलक, एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसिडेंट, एन0एस0डी0एल, मुम्बई।
- 4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।

--3--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 8- विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, 30प्र0 शासन ।
- 9- विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, 30प्र0 शासन ।
- 10- मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
- 13- समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 2018/चैत्र 8, 1940 (शक)
No. 16] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 2018/CHAITRA 8, 1940 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department)

New Delhi, the 29th March, 2018/Chaitra 8, 1940 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 28th March, 2018, and is hereby published for general information:—

THE PAYMENT OF GRATUITY (AMENDMENT) ACT, 2018

No. 12 OF 2018

[28th March, 2018.] ✓

An Act further to amend the Payment of Gratuity Act, 1972.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Payment of Gratuity (Amendment) Act, 2018.

Short title and
commencement

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

39 of 1972.

2. In the Payment of Gratuity Act, 1972 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:—

Amendment of
section 2.

'(k) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the expression "notified" shall be construed accordingly;'

3. In section 2A of the principal Act, in sub-section (2), in the Explanation, in clause (iv), for the words "twelve weeks", the words "such period as may be notified by the Central Government from time to time" shall be substituted.

Amendment of
section 2A.

258

Amendment of
section 4.

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "ten lakh rupees", the words "such amount as may be notified by the Central Government from time to time" shall be substituted.

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/ 2016/ वे0आ0-2-2643/ दस-04(एम)/ 2016] दिनांक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/ दिवंगत सरकारी सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशनस द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/ दस-923/ 85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके हैं, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3-इन आदेशों के अन्तर्गत

- (क)- वर्तमान पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनांक 31-12-2015 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/ पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/ पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।
- (ख)- "वर्तमान पेंशन" का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो दिनांक 31-12-2015 को देय थी, से है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशनें सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख उक्त प्रस्तर-2 में किया गया है।
- (ग)- "वर्तमान पारिवारिक पेंशन" का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन शासनादेश संख्या-सा-3-657/ दस-900/ 78, दिनांक 10-05-1978 अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-1563/ दस-921/ 81, दिनांक 03-11-1981 में उल्लिखित दरों पर, दिनांक 31-12-1995 को अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-969/ दस-923/ 85, दिनांक 08-08-1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 31-12-2015 को अनुमन्य थी।

4- ऐसे वर्तमान पेंशनर जो दिनांक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/ दिवंगत हुए हैं, की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में मिल रही पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार से आगणित धनराशि को अगले रुपये में पूर्णांकित करते हुए पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

उदाहरण-1 पेंशनर-ए वेतनमान रु0 67000-79000 में अन्तिम मूल वेतन रु0 79000/- प्राप्त करते हुए दिनांक 31-05-2015 को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त होता है, उसकी पेंशन उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में रु0 39500/- निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक का उपयोग करते हुए उसकी पेंशन पुनरीक्षित होकर रु0 1,01,515/- निर्धारित होगी।

उदाहरण-2 पेंशनर-बी चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में वेतनमान रु0 3000-100-3500-125-4500 में अन्तिम मूल वेतन रु0 4000/- पाते हुए दिनांक 31-01-1989 को सेवानिवृत्त हुआ और उसकी पेंशन तत्समय रु0 1940/- निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.unn.gov.in> से प्रमाणित की जायेगी।

205

उसकी पुनरीक्षित पेंशन रु0 12600/- निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक के आधार पर उसकी पेंशन रु0 32,382/- निर्धारित होगी।

5- पुनरीक्षित पेंशन में राशिकृत धनराशि, यदि कोई है, भी सम्मिलित होगी। राशिकृत धनराशि को काटते हुए, जो धनराशि आयेगी, उसके अनुसार मासिक पेंशन दी जायेगी।

6- दिनांक 01-01-2016 से न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु0 9000/- होगी। (80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की उच्च सीमा राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन की क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होगी।

6(1)- वृद्ध पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर को अनुमन्य पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार मिलना जारी रहेगी :-

पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह.
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रु0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, (i) मूल पेंशन- रु0-10,000/- (ii) अतिरिक्त पेंशन रु0-2,000/- । 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर , (i) मूल पेंशन- रु0-10,000/- (ii) अतिरिक्त पेंशन रु0-3,000/- प्रतिमाह होगी।

6(2)- उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन दिनांक 01-01-2016 से स्वीकृत महंगाई राहत भी सम्मिलित है।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7- उन मामलों में जहाँ पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि न्यूनतम धनराशि ₹0 9000/- से कम आगणित होती है, तो उसे ₹0 9000/- के स्तर पर उच्चकृत कर दिया जायेगा और यह दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन होगी।

8- राजकीय पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन आदि, जो केन्द्र के समान देय रही हों, को दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य की जाये।

9- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पुनरीक्षण के फलस्वरूप निर्धारित होने वाली पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम धनराशि इस आदेश के प्रस्तर-6 में दी गयी सीमा के अनुसार होगी। जहाँ पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि ₹0 9000/- प्रतिमाह से कम हो रही हो वहाँ संबंधित कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि ₹0 9000/- प्रतिमाह तक बढ़ा दी जायेगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु संबंधित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। इसी प्रकार पदक भत्ते का उल्लेख भी पी0पी0ओ0 में होने के कारण पदक भत्ते का भुगतान/पुनरीक्षण में कठिनाई नहीं होगी। कोषागारों द्वारा जब संबंधित पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित की जाये, तो तत्संबंधी सूचना भी पेंशनरों को उपलब्ध करा दी जाये, जिसमें पुनरीक्षित पेंशन एवं राशिकरण आदि के समायोजन का भी उल्लेख किया जाये।

10- महंगाई राहत

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महंगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01-01-2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनांक 01-07-2016 से 02 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11-अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

(क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadech.un.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

203

1.1.16

वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

12- राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम पेंशन का निर्धारण संबंधित कोषागार द्वारा वित्त विभाग के स्तर से निर्गत किये गये शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा। यह व्यवस्था सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके पेंशनरों को सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है, तथा जिनका भुगतान कोषागारों के द्वारा किया जा रहा है, पर लागू होगी। इन संस्थाओं के कर्मचारियों के अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश किये जाने होंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-39/2016-सा-3-923(1)/दस-2016/308/16 तद्दिनांक

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- महानिबंधक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

202

- 9- समस्त अपर/ संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://www.ups.gov.in

नगर निगम, आगरा

संख्या 447/बी/ए० भी०/०९/बी,

दिनांक 5 मार्च, 1990 ई०

आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेनीफिट) विनियम, 1962, जो आरम्भ संशोधनों सहित 30 मार्च, 1995 के सरकारी गजट में प्रकाशित हुई थी, में नगर निगम अधिनियम, 1959 का धारा 54B [1 (च)] के अन्तर्गत निम्न संशोधन, अन्य विनियमों के सम्बन्ध में प्रकाशित किये जाते हैं—

वर्तमान विनियम

1—(1) इन विनियमों को अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेनीफिट) विनियम, 1962 कहा जायेगा।

प्रस्तावित संशोधन

1—(1) इन विनियमों को, अब आगरा नगर निगम कर्मचारी सेवानिवृत्ति सुविधा (रिटायरमेंट बेनीफिट) विनियम, 1962 होगा।

2—(2) द्वितीय प्रतिबंध यह है कि उन धनियों में औसत परिस्थितियों की वह ही उपयुक्त परिभाषा लागू होगी जिसे समय-समय पर राज्य सरकार अपने पेंशनरों के लिए परिभाषित करे।

4—(2) बेधकम (रिटायरमेंट प्रेच्युटी) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान :

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों की, जिन्होंने उपदान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपदान दिया जायेगा (यह वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपदान सहित प्रेच्युटी देय होगी) उसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए चाहे गाह की परिलब्धियों के बराबर होगी। मृत्यु उपदान सेवारत दगा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार की मृत्यु उपदान अनुमय होगा, जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का दो गुना, एक से अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम की सेवा पर परिलब्धियों का छः गुना, पांच से अधिक किन्तु बीस वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के अधिक के बराबर-बराबर जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (सैंतीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपदान का मुपदान किया जायेगा।

4—(2) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान (बेधकम-रिटायरमेंट) प्रेच्युटी :

यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये तो उसके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति/व्यक्तियों की जिन्होंने उपदान प्राप्त करने का अधिकार विनियम संख्या-5 के उपविनियम 1 से 8 तक के अनुसार किया गया हो, उपदान दिया जायेगा (यह वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर सेवा उपदान सहित प्रेच्युटी देय होगी) उसकी दर प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि की सेवा के लिए चाहे गाह की परिलब्धियों के बराबर होगी। मृत्यु उपदान सेवारत दगा में मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार की मृत्यु उपदान अनुमय होगा जो एक वर्ष से कम सेवा पर परिलब्धियों का दो गुना एक वर्ष से अधिक सेवा पर परिलब्धियों का छः गुना, पांच वर्ष से अधिक सेवा पर परिलब्धियों का बारह गुना, बीस वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिए परिलब्धियों के अधिक के बराबर, जिसकी अधिकतम सीमा मासिक परिलब्धियों के 33 (सैंतीस) गुने के बराबर होगी, किन्तु देय धनराशि ढाई लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो उसी विनियम के उपविनियम 9 में विहित रीति के अनुसार उपदान का मुपदान किया जायेगा।

6 (2) (क) अधिकतम दण्ड 1250/-प्रतिमाह होगा। न्यूनतम धनराशि 375.00 होगी।

11 (2) (ब) पारिवारिक सेवानिवृत्ति पेंशन (पेंशन) की अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिमाह यह धनराशि होगी जो राज्य सरकार अपने पारिवारिक पेंशनरों के लिए समय-समय पर निर्धारित करे।

111

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त/सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-सा-3 जी.आई.-28/दस-2008
लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

शुद्धि पत्र

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में राज्य सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि-

(1) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1500/दस-2008-300/97, दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर-4 (2) एवं 4(4) के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अन्तिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 01-01-2006 से 07-12-2008 के मध्य 33 वर्ष की आर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो कार्मिक दिनांक 01-01-2006 से दिनांक 07-12-2008 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हों परन्तु उनकी आर्हकारी सेवा 33 वर्ष की पूर्ण नहीं होती है उन्हें पेंशन के पूर्व नियमों के अधीन, उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से अनुमन्य होगी।

(2) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर 4(3) की द्वितीय पंक्ति में "उपरोक्त व्यवस्था के अधीन" के स्थान पर "उनकी सेवा अवधि के आधार पर आनुपातिक दर से" पढ़ा जाये।

(3) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-303/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर 10 का अन्तिम पंक्ति में "पेंशन को गणना हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जायेगी के स्थान पर पेंशन को गणना हेतु निम्नलिखित धनराशियों को जोड़ा जाएगा", पढ़ा जाए।

(4) कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-10 में निम्नलिखित अंश जोड़ा जाए

(ग) मूल वेतन के 40 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का फिटमेन्ट लाभ प्रकल्पित रूप से।

(5) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 8 की पाँचवी पंक्ति में ली गयी व्यवस्था को निम्नवत् पढ़ा जाए-

"80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके/प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान उनके 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले संबंधित वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।"

2. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर- 1 (1) की द्वितीय पंक्ति से दिनांक 01-10-2006 के स्थान पर दिनांक 01-01-2006 पढ़ा जाए।

3. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 के प्रस्तर-5 में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम रु. 3500/- प्रतिमाह किये जाने का उल्लेख किया गया है उक्त प्रस्तर की अन्तिम दो पंक्तियों में की गयी व्यवस्था को निम्नवत् पढ़ा जाए।

"जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एक से अधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त है उनके मामलों में उक्त न्यूनतम सीमा का लाभ सभी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के योग के रु. 3500/- प्रतिमाह से कम होने पर ही देय होगा।"

4. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर- 5(1) की चौथी पंक्ति में "अधिक" के स्थान पर "कम" पढ़ा जाए और इसी प्रस्तर की पाँचवी पंक्ति में उल्लिखित "केवल अवकाश पेंशन अनुमन्य है" को विलुप्त समझा जाए।



स्पासिफिक

5. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-6 की द्वितीय पंक्ति में दो बार उल्लिखित पारिवारिक पेंशनरों शब्द में से एक को विलुप्त समझा जाए।

इसी कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-7 (स) की द्वितीय पंक्ति में "वर्ष 2008-09 में" के पश्चात तथा पाँचवी पंक्ति में 'पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों' के स्थान पर 'पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों' पढ़ा जाए।

6. कार्यालय-ज्ञाप-संख्या-सा-3-1508/दस-2008/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर-4 (7) तथा 7 (2) तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 के प्रस्तर 4(4) में उल्लिखित वरिष्ठ पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को सामान्य पेंशन की धनराशि पर अनुमन्य की गयी अतिरिक्त पेंशन पर समय-समय पर निर्गत महंगाई राहत भी अनुमन्य होगी।

7. उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97 एवं संख्या-सा-3-1515/दस-2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 की संबंधित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जाए।

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

- (1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उ.प्र०।
- (2) समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०
- (3) समस्त जिला अधिकारी, उ०प्र०

प्रेषक,

डी0एन0 तीक्ष्ण,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 67 जनवरी, 2009

विषय :- वेतन संहिता उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण / पुनरीक्षण।

महोदय,

छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या - सा-3-1250/दस-2003, दिनांक 20 अक्टूबर, 2003 एवं शासनादेश संख्या - सा-3-1520/दस-2008-101(24)/2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 जारी किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 01-01-2006 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या - सा-3-1541/दस-2003-303/97, दिनांक 08-12-2003 जारी किया गया है। उपरोक्त शासनादेशों में पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से जारी करने की व्यवस्था के कारण यह कठिनाई अवगत करायी जा रही है कि समय-समय पर पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी में परिवर्तन होता रहा है। संबंधित अवधि में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश विभागों में कार्यालय वित्त नियंत्रक, मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के मामले में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र जारी हुए हैं। जिन कार्यालयों से पेंशन स्वीकृति का कार्य हटाया गया है वहाँ से पेंशन स्वीकृति हेतु सृजित पद भी समाप्त हो गये हैं। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से जारी किये जाने की व्यवस्था से पुनरीक्षित पेंशन के भुगतान में कठिनाई आयेगी। उक्त कठिनाई के निराकरण एवं उपरोक्त शासनादेशों के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर निम्नवत् आदेश दिये जाते हैं :-

(1) शासनादेश संख्या - सा-3-1520/दस-2008-101(24)/2008, दिनांक 11-12-2008 के प्रस्तर -2 के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी प्राधिकार - पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को सौंपा गया है। इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पेंशनर जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30-09-1988 अथवा उसके पूर्व की है एवं

—2/—

-2-

जिनके पेंशन प्राधिकार - पत्र महालेखाकार, एओप्रओ द्वारा निर्गत किये गये हैं। ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण का कार्य कांषाधिकारी स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप - 1 पर वॉछित सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रनामित करते हुए संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार स्तर से पुनरीक्षित प्राधिकार - पत्र निर्गत किये जाने को प्रतीक्षा नहीं की जायेगी अपितु संलग्न प्रारूप - 1 पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित कांषागारों द्वारा भारत सरकार के कार्यालय - ज्ञाप दिनांक 01-09-2008 के प्रस्तर - 4:2 के अनुसार पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर दिया जायेगा।

(2)- शासनादेश संख्या - सा-3-1515/दस-2008-309/97, दिनांक 08-12-2008 द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर - 4.1 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण को कार्यवाही इस शर्त के साथ की जानी है कि पेंशनर के पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्त के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नहीं होगी। जहाँ अधिकारी सेवा 30 वर्ष से कम है वहाँ यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रु० 3500/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी। इस प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 01-01-2006 से पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित पे बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत किन्तु किसी भी दशा में रु० 3500/- प्रति माह से कम नहीं होगी। दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त समस्त पेंशनरों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण की कांषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा भले ही पेंशन / पारिवारिक पेंशन स्वीकृत अधिकारी कोई हो।

(3)- इस शासनादेश के प्रस्तर - 1 एवं 2 के अनुसार पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप - 1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कांषागार को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31 मार्च, 2009 तक प्रत्येक दशा में कांषागार को प्रेषित कर दिया जाए। कांषागार स्तर पर सूचना प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही कांषागार द्वारा की जायेगी। पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित विवरण संलग्न-2 पर पेंशनर्स को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। पुनरीक्षित पेंशन की एक प्रति पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी। पेंशन स्वीकृत अधिकारी उक्त सूचना के आधार पर अपने अभिलेख को अद्यावधिक कर लेंगे।

(4)- 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के शासनादेश अनुसार अतिरिक्त पेंशन भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी कांषाधिकारी स्तर पर की जायेगी।

---3/-

-3-

(6)- पेंशनरों की जाति पारिवारिक पेंशनरों को सामान्यतया के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त तक तब तक पर आश्रित पेंशन का सुविधा अनुमति है सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नहीं है अतएव समस्त पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के संबंध में अपने विभागध्यक्ष / तत्कालीनस्थान का अवगत कराया जाएगा। विभागध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों से इसका परीक्षण करेंगे। कार्यालय मिलेख यथा सान्नाय भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे नये नानाजन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पारिवारिक पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही मान्यता प्रदान की जायेगी और तदनुसार कोषागार का उपलब्ध करायेगा। मात्र आयु का उल्लेख होने पर, (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) उस वर्ष की 01 जुलाई को जन्मतिथि माना जायेगा। उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल प्रमाण - पत्र और यदि हाई स्कूल का प्रमाण - पत्र उपलब्ध न हो तो एम पारिवारिक पेंशनरों की जन्मतिथि हेतु डाइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / निर्वाचन पड़धान पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जायेगी। यदि किसी पारिवारिक पेंशनर के पास उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नहीं है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर के स्वतः आशय का अलग से प्रमाण दिया जाये और ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जन्मतिथि हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा दिया गया आयु प्रमाण - पत्र मान्य होगा। पेंशन प्रपत्रों में पूर्व से ही पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशनर की आयु से अधिक अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जायेगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत करायें जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक पेंशनर की आयु माना जायेगा।

महंदाय,

(सी0एम0ओ0 दोषित)
सचिव, वित्त।

संख्या - सा-3-1541(1)/दस-2008-308/97 टी0सी0, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1)-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (2)-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

स्थानीय पेंशनरों के संघटनों को देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियाँ (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाए) (प्रत्येक को 50 प्रतियाँ) (कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु पाँच प्रतियाँ)

—4/—